

डिक्री मुकद्दमात ईब्दादाई  
( ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी )  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड (राजस्थान)  
(पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं० 903/दावा/2019  
दायरा दि० 22/07/2019

उनवान

कैलाशबाई पत्नि बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी देदिया तह० खानपुर  
— वादी

बनाम्

1. परवतीबाई पुत्री घांसी जाति कुम्हार निवासी खण्डी हाल नयागांव देवपुरा तह० खानपुर
2. भवानीशंकर पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी खण्डी तह० खानपुर
3. मंजूबाई पुत्री छीतर जाति कुम्हार निवासी खण्डी तह० खानपुर
4. महावीर पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी खण्डी तह० खानपुर
5. विनोद पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी खण्डी तह० खानपुर
6. छोटूलाल पुत्र छीतर जाति कुम्हार निवासी खण्डी तह० खानपुर
7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलां तह० खानपुर
8. राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार खानपुर


— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण भिन जानिव मुद्दई श्री नरेंद्रकुमार नागर एडवोकेट वादी रूबरू श्री संजय गौतम एडवोकेट प्रतिवादी जानिव मुद्दद्वालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:-

“ वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खण्डी की जमाबंदी सं० 2070-73 की खतौनी सं० 197 की ख०नं० 796/1298 रकबा 10.00 बीघा आराजी में पश्चिम दिशा की 5.00 बीघा आराजी की वादनी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा।”

यह डिक्री आज दिनांक 30/10/2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालावाड  
(राजस्थान)

